कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जबलपुर (म०प्र०)

ई–नीलामी सूचना

जबलपुर दिनांक 14/08/2018

कार्यालयीन पत्र क्रमांक 3156/18

खनिज/ई–नीलामी/2018, जबलपुर

जबलपुर जिले में रेत के अवैध उत्खनन / परिवहन/भण्डारण के विरूद्ध जिला प्रशासन द्वारा गत सप्ताह विशेष अभियान चलाया जाकर राजस्व विभाग, खनिज विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान विभिन्न स्थानों पर रेत के अवैध भण्डार जप्त किये गये। जप्त रेत के प्रकरण पंजीबद्ध किये जाकर जप्त रेत राजसात की गई है। म.प्र. शासन खनिज साधन विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक एफ– 19–6/2016/12/2, भोपाल दिनांक 29/04/2016 में जप्त किये गये रेत भण्डारों के निर्वतन के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त निर्देशानुसार जबलपुर जिले के नीचे दर्शाये गये क्षेत्रों पर एवं दर्शायी मात्रा के रेत भण्डारों की ई–नीलामी दिनांक 23/08/2018 को प्रातः 11:00 बजे से रखी गई है। अतएव इच्छुक बोलीकर्ता नीचे दर्शायी गई शर्तों का अध्ययन करते हुए ई–नीलामी प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए भाग ले सकते हैं।

NO./E-Auction/DO/18-19	विवरण
Material	**खनिज– रेत ग्रामवार सूची अनुसार**
Seller	**कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला– जबलपुर (म.प्र.)**
Auction Start Date and Time	**दिनांक 23/08/2018 समय : 11:00 AM से**
Prior Extension Time	10 Minutes
No. of Extension	Unlimited
Duration of Each Extension	10 Minutes
Inspection Date	ई–नीलामी से 02 दिन पूर्व तक
Contact Person	श्री प्रदीप तिवारी, सहा. खनि अधिकारी – मो. 9425153753 श्री पी. के. सेनगुप्ता– एसडीएम– पाटन मो. 9713311007 श्री पुष्पेन्द्र त्रिपाठी, खनि निरीक्षक मो. 9424995000
Material Location	(see below)

Material Location

क्र.	ग्राम का नाम	तहसील	खसरा नं.	मात्रा (घ. मी.)	खनिज	आपसेट प्राईज (रूपये में)	ईएमडी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नाचनखेड़ा	शहपुरा	116, 109, 110	800	रेत	200000/–	20000/–
2	झौंझी	शहपुरा	101/1, 102/2	11200	रेत	2800000/–	280000/–
3	ढीमर झौंझी	शहपुरा	3/1	700	रेत	175000/–	17500/–
4	बगरई	शहपुरा	55	400	रेत	100000/–	10000/–
5	मगरमुहॉ (बिजना)	शहपुरा	मगरमुहॉ (बिजना)	700	रेत	175000/–	17500/–
6	मालकछार	शहपुरा	शहपुरा मालकछार मुख्य मार्ग पर	980	रेत	245000/–	24500/–

	7	मालकछार	शहपुरा	नर्मदा–नदी पुल के पहले मुख्य मार्ग के दोनों ओर	770	रेत	192500/–	19250/–
	8	मालकछार	शहपुरा	ग्राम छपरट माता श्री वेयर हाउस के पास शहपुरा चरगवॉ मुख्य मार्ग में	1050	रेत	262500/–	26250/–
	9	बासन	पाटन	7	3500	रेत	875000/–	87500/–
	10	हरदुआ	पाटन	138, 116	9940	रेत	2485000/–	248500/–
	11	हरदुआ	पाटन	10	980	रेत	245000/–	24500/–
	12	पौड़ीकला	पाटन	28/3	6790	रेत	1697500/–	169750/–
	13	कृषि उपज मण्डी, पाटन	पाटन	24/56	1400	रेत	350000/–	35000/–
	14	शहपुरा रोड़ के किनारे, पूर्व दिशा में	पाटन	24/56	1050	रेत	262500/–	26250/–
	15	बढैयाखेड़ा	पाटन	219/1, 121/1	3500	रेत	875000/–	87500/–
	16	सुरहिया–देवरी	पाटन	32	630	रेत	157500/–	15750/–
	17	ककरहटा	पाटन	109	160	रेत	40000/–	4000/–
	18	ककरहटा	पाटन	वेद प्रकाश गर्ग का स्टॉक	80	रेत	20000/–	2000/–
	19	कैमोरी	पाटन	हिरन नदी पर	240	रेत	60000/–	6000/–
	20	कैमोरी	पाटन	कैमोरी मण्डी प्रांगण	1400	रेत	350000/–	35000/–
	21	ककरहटा	पाटन	राम बाई वेबा बलवंत सिंह की भूमि पर	320	रेत	80000/–	8000/–
	22	घुटना	सिहोरा	घुटना सिंदुरसी मार्ग के पास	450	रेत	112500/–	11250/–
					47040		**1,17,60,000/–**	**11,76,000/–**
Last Date Submission EMD	**दिनांक 21/08/2018 UP to 05:30 PM**							

(1) ई–नीलामी में भाग लेने हेतु पंजीयन की प्रक्रिया :–

1. ई–ऑकशन प्रक्रिया में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्तियों को www.mpeproc.gov.in पोर्टल में सर्वप्रथम पंजीयन कराना होगा। इस पंजीयन प्रक्रिया में रूपये 500 + सर्विस

टेक्स का शुल्क पोर्टल शुल्क के रूप में देय होगा। यदि बोलीदार द्वारा पूर्व में ई–ऑक्शन में भाग लेने हेतु पंजीयन कराया जा चुका हो तो पुनः पंजीयन की आवश्यकता नहीं होती है।

2. ई–ऑक्शन में भाग लेने हेतु पंजीयन कराने के लिए निम्नांकित दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा :– 1. पैन कार्ड 2. ई–मेल एड्रेस 3. मोबाईल नं. 4. पूर्ण पता। यह प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात इच्छुक बोलीदार के मोबाईल में ई–मेल एड्रेस पर यूजर नेम एवं पासवर्ड प्राप्त होगा। प्राप्त पासवर्ड का उपयोग ई–ऑक्शन की प्रक्रिया में किया जायेगा।

3. www.mpeproc.gov.in पर क्लिक करने पर एक विण्डो ओपन होगा इस विण्डो में आप से यूजर नेम एवं पासवर्ड मांगा जायेगा। पोर्टल ओपन होने के पश्चात ई–ऑक्शन में की जा रही नीलाम की प्रक्रिया प्रारम्भ होगी।

4. नीलामी की सूचना www.mpeproc.gov.in पोर्टल में अंकित की गयी है।

5. www.mpeproc.gov.in पोर्टल पर यूजर आईडी तथा पासवर्ड भरने के पश्चात एक्टिविटी वाले कॉलम में आपको ऑक्शन का चयन करना होगा।

6. जप्तशुदा रेत की प्ररक्षित कीमत के अनुपात में प्रोसेसिंग शुल्क जमा किया जाना होगा। यह न्यूनतम 250 रूपये से 1300 रूपये + सर्विस टेक्स होगा। यह राशि ऑनलाईन जमा करनी होगी।

7. समस्त बोलीदार को बोली लगाने के पूर्व शासकीय बोली की राशि का 10 प्रतिशत राशि अग्रिम के रूप में PAY EMD के ऑप्शन में जमा करना होगा।

2. इस ई-ऑक्शन में वॉलेट प्रक्रिया लागू की गई है, अत: इस ई-ऑक्शन में भाग लेने वाले बोलीदारों के द्वारा बोली लगाये जाने की प्रक्रिया, पूर्व के ई-ऑक्शन से भिन्न होगी। विस्तृत विवरण के लिये उपरोक्त नीलामी की सूचना का भलीभांति अध्ययन कर लेवें।

Wallet का निर्माण करने एवं राशि जमा करने की प्रक्रिया

a) अपने Login Id से Log करें। उसके उपरांत Money Packet पर जावें। वहां दिये गये Form को भरें और Signup करें। जिसके बाद आपको Money Packet का Login मिलेगा।

b) Wallet में राशि जमा करने के लिये Money Packet पर क्लिक करें। Money Packet से Login करें तथा Mobile पर PTO दर्ज करें उसके बाद Deposit पर क्लिक करें ।

c) Mode of Payment से e-payment या NEFT जिससे भी भुगतान करना हो Select करें और Amount दर्ज करें। Make Payment पर क्लिक करें ।

d) e-Payment Select करने पर आपको Credit Card, Debit Card, Net Banking के माध्यम से अपने Wallet में राशि डाल सकते है।

e) NEFT/RTGS Mode Select करने पर Amount दर्ज करें एवं Manual Challan Generate कर राशि बैंक में जमा करें।

(3) बोली लगाने की शर्तें निम्नानुसार है:–

1. बोली लगाने के पूर्व बोलीदार नियत स्थान में एकत्रित रेत का निरीक्षण कर मात्रा एवं क्वालिटी का परीक्षण कर लेवे, बोली स्वीकार होने के पश्चात इसके संबंध में कोई आपत्ति ग्राहय नहीं की जावेगी।

2. समस्त इच्छुक बोलीदार को बोली लगाने के पूर्व शासकीय बोली राशि का 10 प्रतिशत रशि अग्रिम के रूप में PAY EMD के ऑप्शन में जमा करना होगा।

3. सफल बोली के पश्चात बोली की शेष राशि को चालान के माध्यम से 03 दिवस के भीतर जमा करना होगा। शेष राशि जमा न करने पर जमा की गई 10 प्रतिशत राशि को शासन के पक्ष में राजसात की जायेगी।

4. सफल बोलीकर्ता (H1 Bidder) को स्वचलित सिस्टम द्वारा ई–मेल से सफलतम बोलीकर्ता होने की सूचना दी जाएगी, किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं होगी की उसकी बोली को स्वीकार कर लिया गया है। इस सूचना का प्रिंट लेकर 02 दिवस में कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा में प्रस्तुत करना होगा। कार्यालय द्वारा प्राप्त बोली का परीक्षण उपरांत बोली स्वीकृति के संबंध में पृथक से एक आशय पत्र (Letter of Intent) जारी किया जायेगा।

5. असफल बोलीकर्ताओं की जमा निक्षेपित अमानत राशि (EMD) पंजीयन के समय दर्शित बैंक खाते में बोली समाप्त होन के पश्चात स्वमेव (Automatic) वापस हो जायेगी।

6. उच्चतम बोलीदार द्वारा रेत का परिवहन खनिज शाखा से जारी किये गये अभिवहन पास के आधार पर तथा अभिवहन पास में दी गई शर्तों का पालन करना होगा।

7. जिन व्यक्तियों के ऊ पर खदान एवं खनिज के संबंध में शासकीय देय राशियॉ बकाया हैं वे नीलामी में भाग लेने हेतु पात्र नहीं होंगे।

8. सम्पूर्ण बोली की राशि का 02 प्रतिशत टी.सी.एस. जमा करना होगा।

9. उच्चतम बोलीदार को उक्त रेत अधिकतम एक माह में उठाना अनिवार्य होगा।

10. कलेक्टर, जबलपुर को बोली बिना कारण बताये स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का सम्पूर्ण अधिकार होगा। विवाद की स्थिति में कलेक्टर का निर्णय अंतिम होगा।

कलेक्टर
जिला– जबलपुर

पृष्ठांकन क्र. खनिज/2018 जबलपुर दिनांक /08/2018

1. संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म, 29–ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स भोपाल की ओर ई–ऑक्शन की कार्यवाही संपन्न कराने हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय प्रमुख, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, क्षेत्रीय कार्यालय, जबलपुर की ओर सूचनार्थ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जबलपुर की ओर सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाटन/जबलपुर/सिहोरा/कुण्डम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. तहसीलदार जबलपुर/बरगी/पाटन/शहपुरा/सिहोरा/मझौली/पनागर/कुण्डम की ओर सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. खनि निरीक्षक जबलपुर/सिहोरा/पाटन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु। नियत तिथि को उपस्थित रहकर नीलामी की कार्यवाही कराये एवं नीलामी की सूचना अपने स्तर से आमजनों को प्रदाय करना सुनिश्चित करें।
7. जिला कार्यालय जबलपुर (खनिज शाखा) के सूचना पटल पर चस्पा हेतु।
8. जन संपर्क अधिकारी, जिला जबलपुर की ओर प्रकाशनार्थ।
9. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. जबलपुर म.प्र. की ओर भेजकर लेख है कि उक्त नीलामी सूचना को जिले की बेवसाईट में अपलोड करने हेतु।

कलेक्टर
जिला– जबलपुर